राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन
कृषि मजदूर न्याय योजना

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

क. एफ 3–6/2021/सात–3 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 16/08/2021

प्रति,

सर्व कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः– **''राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना'' के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।**

–––––000–––––

छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाता है। कृषि मजदूरी कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक हैं। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम स्तर पर उपलब्ध होते हैं। राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से **''राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना'' वित्तीय वर्ष 2021–22 से प्रारंभ किया जा रहा है।**

1. योजना का उद्देश्यः–

1.1 ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना।

1.2 आर्थिक अनुदान के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि करना।

2. योजना का कार्यक्षेत्रः–

योजना प्रदेश के समस्त जिलों में वित्तीय वर्ष 2021–22 से लागू होगी।

3. कियान्वयन एजेन्सीः–

राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू–अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की देख–रेख में योजना का कियान्वयन किया जाएगा।

4. हितग्राही परिवार की पात्रता:–

4.1 योजनांतर्गत कट ऑफ डेट (पात्रता दिनांक) 01 अप्रैल 2021 होगा अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2021 की स्थिति में योजनांतर्गत निर्धारित पात्रता होनी चाहिए।

4.2 योजना अंतर्गत पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को होगी।

4.3 ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सभी मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे, जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि यथा–वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा।

(स्पष्टीकरण:–(1) ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे–पौनी–पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय–समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है।

स्पष्टीकरण:–(2) यहॉ भूमिहीन कृषि मजदूर से अभिप्रेत है– "ऐसा व्यक्ति जो कोई कृषि भूमि धारण नहीं करता और जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम करना है और उसके परिवार का जिसका की वह सदस्य है, कोई सदस्य किसी कृषि भूमि को धारण नहीं करता है।"

स्पष्टीकरण:–(3) यहॉ परिवार से आशय–किसी व्यक्ति का कुटुम्ब अर्थात् उसकी पत्नी या पति, संतान तथा उन पर आश्रित माता–पिता से है।

स्पष्टीकरण:–(4) यहॉ कृषि भूमि धारण नहीं करना, से आशय है उस परिवार के पास अंश मात्र भी कृषि भूमि नहीं होना है।)

4.4 कृषि भूमिहीन परिवारों की सूची में से परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से यदि कृषि भूमि धारित है अर्थात् उस परिवार को उत्तराधिकार हक में भूमि प्राप्त करने की स्थिति होगी, तब वह परिवार भूमिहीन परिवार की सूची से पृथक् हो जाएगा।

4.5 आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि, कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी।

4.6 ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत परिवारों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

4.7 पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उक्त परिवार के द्वारा पात्रता अनुसार नवीन आवेदन योजनांतर्गत प्रस्तुत किया जाना होगा।

4.8 यदि पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया के द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर अनुदान सहायता राशि प्राप्त की गई हो, तब विधिक कार्यवाही करते हुए उक्त राशि उससे भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

5. अनुदान सहायता राशिः–

5.1 योजना अंतर्गत अंतिम रूप से चिन्हांकित हितग्राही परिवार के मुखिया को राशि रुपए 6000/– अनुदान सहायता राशि प्रति वर्ष दी जाएगी।

6. हितग्राही परिवारों का पंजीयनः–

6.1 योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयावधि में "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" के पोर्टल **rggbkmny.cg.nic.in** में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

6.2 योजना अंतर्गत हितग्राही परिवारों के पंजीयन का कार्य दिनांक 01/09/2021 से दिनांक 30/11/2021 तक किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भुईयां रिकॉर्ड के आधार पर ग्रामवार बी–1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जाएगी, जिससे भू–धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट हो सके तथा भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त हो सके।

6.3 हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज यथा–आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदन में यथासंभव मोबाईल नंबर का भी उल्लेख किया जाना होगा। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा।

6.4 इस प्रकार प्राप्त आवेदन ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्रामवार, ग्राम पंचायतवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत में निर्धारित समय–सीमा के भीतर जमा करना होगा। जहॉ पोर्टल में इसकी प्रविष्टि की जाएगी। पोर्टल में की गई प्रविष्टियों का कृषि भूमिधारिता के संबंध में पुनः परीक्षण राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा भुईयां रिकॉर्ड को आधार मानते हुए किया जाएगा।

6.5 योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राही परिवार के मुखिया को आवेदन के साथ आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। हितग्राही परिवारों से आधार नंबर उनकी सहमति से प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी हितग्राही परिवार के पास आधार नंबर नहीं है तब मैदानी अमलों के द्वारा ऐसे हितग्राही परिवारों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) में पंजीयन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

6.6 राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल में प्रदर्शित प्रकिया के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।

6.7 हितग्राही परिवारों के बैंक विवरण में त्रुटि होने पर विभाग के मैदानी अमले के द्वारा संबंधित हितग्राही परिवार से 15 दिवस के भीतर सही बैंक विवरण प्राप्त करते हुए अनुदान राशि अंतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

7. निरर्हता:–

इस योजनांतर्गत निम्नांकित श्रेणियों के परिवार/व्यक्ति अपात्र होंगे–

7.1 नगरीय क्षेत्रों के रहवासी परिवार/व्यक्ति।

7.2 वे व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद को धारण करते हैं अथवा करते थे तथा वे व्यक्ति जो केन्द्र शासन, राज्य शासन के किसी भी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय और उसकी क्षेत्रीय इकाई में कर्मचारी और/या अधिकारी के रूप में सेवा करना जारी रखते हैं या करते हैं अथवा सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवा के अंतर्गत संविदा पर काम करने वाले अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित माने जाएंगे।

7.3 ऑउटसोर्सिंग के आधार पर अथवा दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारी भी निरर्हता की श्रेणी में आयेंगे।

7.4 वे व्यक्ति जिन्होंने सरकार के अधीन किसी केन्द्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) और स्वायत्त निकायों में एक अधिकारी या कर्मचारी के रूप में कार्य किया हो।

7.5 स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी।

7.6 केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री।

7.7 लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्य।

7.8 राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषदों के वर्तमान और पूर्व सदस्य, जिला पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।

7.9 जनपद पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष। ग्राम पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व सरपंच।

7.10 किसी भी नगरीय ईकाई के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष। (मेयर, अध्यक्ष आदि)।

7.11 कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले आंकलन वर्ष (AY) या उसके परिवार में आयकर दाखिल किया है।

7.12 डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, ऑर्किटेक्ट तथा शासन द्वारा समय–समय पर नियत अन्य कोई पेशेवर वर्ग।

8. हितग्राही परिवारों का सत्यापन:–

8.1 पोर्टल में पंजीकृत हितग्राही परिवारों की ग्राम पंचायतवार, ग्रामवार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा तैयार की जाएगी तथा राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा भूमिधारिता के संबंध में भुईयां रिकॉर्ड से परीक्षण किया जाएगा। इस तथ्य का विशेष परीक्षण किया जाएगा कि कृषि भूमिहीन परिवारों की सूची में से परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से पृथक् से कृषि भूमि धारित तो नहीं है ? क्योंकि ऐसी स्थिति में उस परिवार को उत्तराधिकार में कृषि भूमि प्राप्त होगी। राजस्व अधिकारियों से सत्यापन पश्चात् उत्तराधिकार में कृषि भूमि प्राप्त करने वाले संभावित परिवारों को सूची से पृथक् किया जाएगा।

इस प्रकार तैयार की गई अद्यतन सूची जिसमें परिवार के मुखिया का आधार कार्ड, मोबाईल नंबर एवं बैंक खाता कमांक भी अंकित होगा। सूची में अ.जा, अ.ज.जा., अ.पि.व. एवं अन्य वर्ग का भी उल्लेख किया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सूची ग्राम सभा के समक्ष दावा आपत्ति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तथा दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात् पात्र परिवारों को जोड़ा जाएगा तथा अपात्र परिवारों को पृथक् किया जाएगा। इस प्रकार यथा संशोधित सूची "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" के लिए अंतिम रूप से तैयार तथा पोर्टल पर अद्यतन की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतिम रूप से चिन्हांकित सूची में कृषि भूमि धारित करने वाले परिवार नहीं हों।

8.2 ऐसी तैयार सूची में चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे–पौनी–पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय–समय पर नियत अन्य वर्ग के परिवारों को जोड़ा जाएगा जिनके पास कृषि भूमि नहीं है।

8.3 ऐसी अंतिम सत्यापित सूची योजना अंतर्गत जिला स्तर पर तैयार करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी।

8.4 **अंतिम सत्यापित सूची पंजीयन प्रारंभ होने के 4 माह के भीतर तैयार की जाएगी।**

8.5 **अंतिम सत्यापित सूची में किसी प्रकार का परिवर्धन/संशोधन/निरसन जिला अनुश्रवण समिति की अनुशंसा पर ही किया जा सकेगा।**

9. अनुदान सहायता राशि:–

9.1 योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 से राशि रुपए 6000/– चिन्हित हितग्राही परिवार के मुखिया को एक अथवा दो किश्तों में अनुदान सहायता राशि दी जाएगी।

9.2 अनुदान सहायता राशि चिन्हित सूचीबद्ध परिवार के मुखिया को सीधे बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारा की जाएगी।

9.3 छूटे हुए पात्र हितग्राही परिवार के मुखिया को जिला अनुश्रवण समिति की अनुशंसा पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि दी जा सकेगी। अनुश्रवण समिति की अनुशंसा पर असत्य जानकारी के आधार पर आर्थिक अनुदान प्राप्त करने वाले हितग्राही परिवार के मुखिया के विरूद्ध विधिक कार्यवाही तथा दी गई अनुदान सहायता राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

10. राज्य स्तरीय अनुश्रवण समितिः–

योजना के प्रभावी कियान्वयन, निगरानी तथा अंतर्विभागीय समन्वय हेतु मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा–

1.	मुख्य सचिव, छ.ग. शासन	– अध्यक्ष
2.	भारसाधक सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	– सदस्य
3.	भारसाधक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	– सदस्य
4.	भारसाधक सचिव, कृषि विभाग	– सदस्य
5.	भारसाधक सचिव, वित्त विभाग	– सदस्य
6.	भारसाधक सचिव, श्रम विभाग	– सदस्य
7.	आयुक्त, मनरेगा	– सदस्य
8.	राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी.	– सदस्य
9.	संचालक, भू–अभिलेख	– सदस्य सचिव

अनुश्रवण समिति के दायित्वः–

1. कार्ययोजना तैयार कर समय–समय पर निर्देश प्रसारित करना।
2. योजना का प्रभावी कियान्वयन, अंतर्विभागीय समन्वय एवं निगरानी करना।
3. हितग्राही परिवारों के त्रुटिरहित पंजीयन कार्य एवं सत्यापन कार्य की समीक्षा करना।
4. योजना कियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना।
5. इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर त्रुटियों का परिमार्जन करना।

11. जिला स्तरीय अनुश्रवण समितिः–

जिला स्तर पर योजना के सफल कियान्वयन एवं निगरानी तथा शिकायतों के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा–

1.	जिला कलेक्टर	– अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	– सदस्य सचिव
3.	प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख	– सदस्य
4.	उप संचालक, कृषि	– सदस्य
5.	जिला श्रम अधिकारी	– सदस्य
6.	लीड बैंक अधिकारी	– सदस्य
7.	जिला सूचना अधिकारी (NIC)	– सदस्य

समिति के कार्य :–

1. योजना के दिशा–निर्देश अनुसार पात्र परिवारों का पंजीयन एवं चिन्हांकन, ग्राम पंचायत–ग्राम सभा से सत्यापन एवं विभिन्न गतिविधियों को समय–सीमा में संपादित करना।
2. योजना कियान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी करना।

3. योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना एवं ग्राम सभाओं का आयोजन कराना।
4. ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर परिवार के मुखिया को अनुदान सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित कराना।
5. कियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना तथा ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूरों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण करना।

12. प्रशासनिक व्यय:–

योजना से संबंधित पोर्टल के विकास, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों का चिन्हांकन, डाटा एंट्री, प्रपत्रों की छपाई, प्रचार–प्रसार, बैंक कमीशन, आदि कार्यों हेतु कुल बजट का 0.50 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय मद में प्रावधानित किया जाएगा।

13. वित्तीय व्यवस्था एवं लेखा शीर्ष:–

योजनांतर्गत विभाग द्वारा संचालक, भू–अभिलेख को राशि आबंटित की जाएगी। सत्यापन पश्चात् चिन्हांकित ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को नोडल बैंक के सहयोग से सीधे उनके खाते में अनुदान सहायता राशि वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी। योजनांतर्गत होने वाला व्यय निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा–

मांग संख्या	–	08
मुख्य शीर्ष	–	2029
अन्य व्यय	–	800
राज्य आयोजना (सामान्य)	–	0101
ग्रामीण भूमिहीन कृषक न्याय योजना	–	6495
सहायक अनुदान	–	#14
अन्य अनुदान	–	012

जिला स्तर पर समय–सीमा में योजना कियान्वयन का दायित्व कलेक्टर का है। अतएव जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कर योजना का कियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन पत्र का नमूना प्रपत्र–1

(शत्रुहन यादव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक एफ 3–6/2021/सात–3 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 16/08/2021

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
9. आयुक्त, मनरेगा, विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
10. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
11. संचालक, भू–अभिलेख, आयुक्त कार्यालय भू–अभिलेख, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
12. सर्व संभागायुक्त, संभाग–रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, छतीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16.8.21

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रपत्र–1

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनांतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

(हितग्राही परिवार के मुखिया द्वारा आवेदन भरा जाए)

(केवल ऐसे परिवार के द्वारा आवेदन भरा जाए जिसके पास कृषि भूमि नहीं है)

आवेदक का स्व सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो

1. हितग्राही परिवार के मुखिया का नामः–
2. पिता/पति का नामः–
3. वर्ग/जाति (टिक करें):– अ.जा   अ.ज.जा.   अ.पि.व.   अनारक्षित

4. मोबाईल नंबर (बैंक खाते से लिंक मोबाईल नं. को प्राथमिकता देवें)

5. पताः–.................................ग्राम का नामः–..........................ग्राम पंचायत का नाम..........................

6. पटवारी हल्का नंबर :–..

7. जनपद पंचायत का नामः–...........................तहसील...............................जिला..............................

8. व्यवसायः–

वर्तमान में किये जाने वाले कार्य का विवरणः–...

9. परिवार के सदस्यों का विवरण :–

कमांक	सदस्य का नाम	लिंग	उम्र	परिवार के मुखिया से संबंध
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

10. बैंक खाते का विवरण

i बैंक का नाम...बैंक शाखा का नामः–..

ii खाता कमांकः–

iii IFSC कोडः–

11. आधार का विवरणः–

i आधार नंबरः–

ii आधार कार्ड अनुसार पूरा नाम (अंग्रेजी में)

आधार नंबर के उपयोग हेतु सहमति पत्र

मैं अपने आधार नंबर की जानकारी "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" हेतु उपयोग करने की सहमति देता/देती हूँ। मेरे द्वारा मेरे आधार को दर्शित बैंक अकाउण्ट से लिंक करा लिया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं .....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हूँ तथा आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही हैं। मेरे या मेरे परिवार के सदस्यों के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं भी कोई भी कृषि भूमि नहीं है। मेरे द्वारा असत्य/त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने पर राज्य सरकार द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए दी गई अनुदान सहायता राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में मुझसे वसूल की जाए।

संलग्नः– बैंक पासबुक की छायाप्रति ☐ आधार की छायाप्रति ☐

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मेरे द्वारा आवेदक के आवेदन में उल्लेखित जानकारी एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है। **मैं इस आवेदन पत्र को डाटा एन्ट्री की अनुमति प्रदान करता हूँ।**

अथवा

मेरे द्वारा आवेदक के आवेदन में उल्लेखित जानकारी एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है। **प्रविष्टि के आधार पर आवेदन पत्र असत्य/त्रुटिपूर्ण होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।**

ग्राम पंचायत का नाम.....

जनपद पंचायत का नाम.....

पंचायत सचिव के हस्ताक्षर एवं सील

पंचायत सचिव का नाम .....

पावती

हितग्राही सुश्री/श्री/श्रीमती/.....पिता/पति श्री.....ग्राम.....
मोबाईल नंबर.....का "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज आज दिनांक.....को प्राप्त किया।

ग्राम पंचायत का नाम.....

जनपद पंचायत का नाम.....

पंचायत सचिव के हस्ताक्षर एवं सील

पंचायत सचिव का नाम .....